वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर”, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज,ज्ञानशिखा टाइम्स” समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 23.07.2024

गुणवत्ता सुधारे कार्यदायी संस्था नहीं तो होगी कार्रवाई : पुलकित गर्ग

सारनाथ में प्रो पुअर योजना की गुणवत्ता देखने के बाद अधिकारियों से जानकारी लेते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग• जागरण

वीडीए उपाध्यक्ष ने सारनाथ में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना की देखी हकीकत, दी हिदायत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सारनाथ में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से चल रहे काम की प्रगति देखने सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग पहुंचे। बारिश होने के साथ धंसी सड़क को देखा और कार्यदायी संस्था केके कंट्रक्शन को कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। जिन स्थानों पर सड़क धंसने या बैठने की संभावना है उसे दुरुस्त करा लिया जाए जिससे आगे कोई समस्या नहीं आए। विशेषकर उन स्थानों को देखने को कहा जहां सीवर लाइन डाली गई है। चौखंडी स्तूप के सामने बने बस पार्किंग को देखने के साथ साइनेज बोर्ड लगाने को कहा जिससे पर्यटकों को सुविधा हो।

पहली बारिश होने के साथ जगह-जगह सड़क बैठने पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर वीडीए उपाध्यक्ष कार्यदायी संस्था केके कंट्रक्शन पर 60 लाख रुपये जुर्माना ठोक चुके हैं। कार्यदायी संस्था की ओर से मांगी गई एक सप्ताह की मोहलत के बाद वीडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण किया। सारनाथ चौराहे से बरईपुर गांव जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क धंसी थी, उन स्थानों को देखने के साथ कार्यदायी संस्था को हिदायत देते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया। दोबारा कोई गड़बड़ी मिलने पर कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। वीडीए के अधिशासी अभियंता आनंद मिश्रा आदि थे।

दैनिक जागरण–दि0 23.07.2024

लाल कोठी और रिवर पैलेस का निरस्त होगा लाइसेंस

वीडीए प्रशासन ने एडीएम प्रोटोकाल को लाइसेंस और भू-गर्भ जल विभाग को बोरिंग बंद करने को लिखा पत्र

- कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराने के साथ कटवाया बिजली कनेक्शन
- विकास प्राधिकरण और जलकल टीम को नहीं मिला पेयजल कनेक्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से आठ वर्ष पहले सील अवैध निर्माण में होटल बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस का संचालन होने शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को वीडीए प्रशासन ने वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर हुए क्षेत्र में बने दोनों होटलों का सराय एक्ट में पंजीकृत लाइसेंस को निरस्त करने के लिए, अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल एवं पर्यटन) को पत्र लिखा है। वहीं, पेयजल सुविधा बंद करने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष ने भू-गर्भ जल विभाग के सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट बोरिंग कनेक्शन बंद करने को कहा है। दोनों विभागों को कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा गया है।

गत रविवार को वीडीए ने होटल संचालक मोहम्मद जाफर अली खां के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को दोनों होटलों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। वहीं, होटल का बिजली कनेक्शन कटने और कार्रवाई को लेकर सोमवार को संचालक वीडीए कार्यालय पहुंचे। वे अधिकारियों से मिलने के साथ कुछ दिन की मोहलत मांगते रहे। वे कोर्ट से स्टे और शासन में मामला लंबित होने की बात कर रहे थे। वहीं वीडीए खारिज होने की बात करता रहा।

छावनी क्षेत्र स्थित रिवर पैलेस होटल•

बनारस लाल कोठी होटल• जागरण

वरुणा नदी के किनारे से 50 मीटर दायरे में अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर अवैध निर्माण होने पर वीडीए ने नोटिस जारी करते हुए बुद्ध विहार कालोनी में होटल बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस दोनों को 13 फरवरी-2015 और 23 नवंबर-2015 को सील कर दिया था। इसके बाद न्यायालय और शासन में मामला होने के चलते वीडीए कार्रवाई नहीं कर रहा था। वीडीए का कहना है कि दोनों स्थानों से स्टे नहीं मिलने पर रुकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दोनों होटलों का वीडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं है। वरुणा नदी के किनारे से 50 मीटर के अंदर हुए क्षेत्र में निर्माण होने पर वर्ष 2015 में सील की कार्रवाई की गई थी। मनमाने तरीके से होटल का संचालन किया जा रहा है। होटल का लाइसेंस निरस्त करने और बोरिंग बंद करने के लिए दोनों विभागों को पत्र लिखा गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

एक घंटे तक निरीक्षण के बाद लौटी टीम

वीडीए के जोनल अधिकारी शिव मौर्य जायसवाल ने 19 जुलाई को जलकल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर होटल बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस का पेयजल कनेक्शन काटने को था। सोमवार को जोनल अधिकारी जलकल कर्मियों के साथ कनेक्शन काटने पहुंचे तो मालूम चला कि होटल में बोरिंग से पेयजल आपूर्ति होती है। करीब एक घंटे तक टीम देखने के बाद लौट आई।

दैनिक जागरण –दि0 23.07.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने ध्वस्त कराई अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और बिना ले-आउट पास कराए जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण सख्ती बरत रहा है। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को खुद खड़े होकर बाउंड्री तोड़वाई। अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने सील भवनों में निर्माण होने पर जोनल अधिकारी, अवर अभियंता और कर्मचारियों को चेताया है। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के रिंग रोड के पास मिल्कोपुर में मोनू सिंह व बटुक सिंह अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। अवैध बाउंड्री तोड़ने पर उनके खिलाफ तहरीर दी गई।

अमर उजाला–दि0 23.07.2024

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई, तीन निर्माण भी सील

वीडीए उपाध्यक्ष ने खड़े होकर प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए ने सोमवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने खुद खड़े होकर तीन जगहों पर 13 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई।

अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। इसके साथ ही तीन अवैध निर्माण सील किए गए। तीन के खिलाफ एफआईआर के लिए संबंधित थानों में तहरीर दी गई।

सारनाथ के मिलकोपुर रिंग रोड के पास मोनू सिंह और बटुक सिंह की ओर से 4 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहां वीडीए उपाध्यक्ष ने खड़े होकर बुलडोजर चलवाया। बराई में पप्पू यादव की ओर से 4 बीघे में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करवाई। साथ ही अवैध प्लॉटिंगकर्ता के खिलाफ सारनाथ थाने में तहरीर दी गई। रामनगर वार्ड के भीटी पंचवटी मधुवन के पीछे 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। अदलहाट में मुख्तार अहमद जमाल की ओर से शमन के लिए मानचित्र पेश किया गया था। यह निर्माण एचएफएल के 200 मीटर दायरे में होने के कारण मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया। मौके पर अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। नगवा वार्ड के सुसुवाही मार्ग पर हरिशंकर पटेल और बबलू की ओर से कराए जा रहे अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। नगवा वार्ड के चितईपुर इंदिरा नगर कॉलोनी में राजेश्वरी भवन के सामने किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा।

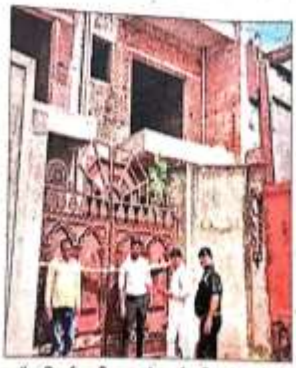

अवैध निर्माण सील करते कर्मचारी। स्रोत-वीडीए

सारनाथ की प्रो पुअर योजना की मॉनीटरिंग करेंगे वीडीए सचिव

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सारनाथ में चल रहे प्रो पुअर योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस काम की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र को दी। कहा कि धर्मपाल चौराहा से 10 नंबर मार्ग के निर्माण कार्य के समय एक तरफ ट्रैफिक रोका जाए। वीडीए उपाध्यक्ष ने केके कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को फटकार लगाते हुए गुणवत्ता के साथ समय सीमा में काम पूरा करने की हिदायत दी। पिछले दिनों इस सड़क पर बुलडोजर धंस गया था। इसे लेकर जांच बैठाई गई थी। यह काम मार्च में ही पूरा होना था लेकिन अब भी काम पूरा नहीं हुआ है। पूर्व में मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने निरीक्षण किया था। उस दौरान स्ट्रीट लाइटों के खंभे की बुनियाद कमजोर पाई गई थी। इसके लिए हिदायत दी गई थी बीएचयू आईआईटी से संपर्क कर गुणवत्ता व टिकाऊ पूर्वक काम करें। यहां फुटपाथ पर बनाई गई इंटरलाकिंग धंस गई है। इसे लेकर काफी हो हल्ला मचा था। ब्यूरो

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान– 23.07.2024

नेहरू मार्केट में लगाया क्यूआर कोड

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को इंग्लिशिया लाइन स्थित जवाहर लाल नेहरू मार्केट परिसर में 30 प्रतिष्ठानों पर क्यूआर कोड लगाया। ये व्यवसायी वीडीए के बकाएदार हैं। वीडीए ने दुकानदारों को क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करने को कहा है।

हिन्दुस्तान– 23.07.2024

अवैध निर्माण पर दो के खिलाफ तहरीर

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। नगवां वार्ड के सुसुवाही और चितईपुर स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में सील तोड़कर निर्माण कराने रहे दो भवन स्वामियों के खिलाफ चितईपुर थाना में तहरीर दी गई है। रामनगर में पंचवटी, मधुवन के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 5 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। अदलहाट में अवैध निर्माण सील हुआ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज– 23.07.2024

पांच बीघा जमीन पर चली जेसीबी, भवन सील

विप्रा उपाधयक्ष के निर्देश पर अभियन्ताओं ने सोमवार को रामनगर के भीटी गांव में काश्तकार द्वारा पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर रहे निर्माण कार्य को जेसबी से ध्वस्त करा दिया। शिकायत के बाद मौके पर अवर अभियन्ता पहुंचे और उनहोंने निरीक्षण रिपोर्ट अधिकारियों दी। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी अवर अभियन्ता निकटतम थाने की पुलिस और प्रवर्तन विभाग ने प्लाट हुए निर्माण को जेबीसी गिरा दिया। इसी प्रकार रामनगर के भीटी गांव पचवटी के पास एक भवन मालिक बिना मानचित्र के निर्माण कार्य करा था। शिकायत के आधार पर भवन मालिक को निर्माण कार्य रोकने और शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया लेकिन आवश्यक कार्यवाही करने के बाद विभाग ने सितम्बर २०२३ में शमन मानचित्र निरस्त कर दिया। भवन मालिक मानचित्र निरस्त होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा। शिकायत के आधार पर मौके पर पहचे जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार अवर अभियन्ता पी एन दुबे ने निकटतम थाने की पुलिस के सहयोग से भवन को सील कर दिया। अवर अभियन्ता ने लिखित तौर पर भवन को पुलिस के अभिरक्षा में सौंप दिया।

ज्ञानशिखा टाइम्स– 23.07.2024

विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्यवाही

वाराणसी। प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-रामनगर थाना-रामनगर, मौजा-भीटी पंचवटी, मधुवन के पीछे अज्ञात द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर आज 22 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। उपरोक्त ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त वार्ड-रामनगर थाना-अदलहाट मौजा-मिर्जापुर के अंतर्गत मुख्तार अहमद जमाल पुत्र जलील अहमद, आराजी संख्या-312, मौजा-मिर्जापुर खुर्द द्वारा लगभग 8.0x15.0 मीटर भू-क्षेत्र के अन्तर्गत भूतल पर निर्माण कर प्रथम तल हेतु कॉलम कास्टिंग का कार्य किये जाने पर पक्ष के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उक्त के क्रम में पक्ष द्वारा दिनांक 10.08.2023 को स्वीकृति हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था जो प्रश्नगत् आराजी एच0एफ0एल0 लाईन के 200 मीटर के अन्दर स्थित होने के कारण दिनांक 04.09.2023 को अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 (1) के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत अवैध निर्माण को आज दिनांक 22.07.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया है। मौके परजोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता श्री पी0एन0 दूबे मौजूद रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।